प्रेषक,

**विवेक श्रीवास्तव,**
**विशेष सचिव,**
**उत्तर प्रदेश शासन।**

सेवा में,

**1- समस्त जिलाधिकारी,**
**उत्तर प्रदेश।**

**2- निदेशक,**
**प्रशासन एवं विकास,**
**पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।**

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-21 सितम्बर, 2026

विषयः- **अनुदान संख्या 15 के अधीन पशुधन विकास प्रशिक्षण केन्द्र चगेरवां जनपद बस्ती के संचालन की योजना (रा.यो.) के संचालन हेतु गाइडलाईन्स।**

महोदय,

पशुधन विकास प्रशिक्षण केन्द्र चगेरवां, जनपद बस्ती के माध्यम से पशुपालकों एवं कृषकों को वैज्ञानिक एवं आधुनिक पशुपालन तकनीकों से अवगत कराने, पशुधन की उत्पादकता एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रशिक्षण प्रदान करने, दुग्ध उत्पादन, बकरी/भेड़ पालन, मुर्गी पालन आदि गतिविधियों को वैज्ञानिक ढंग से अपनाने हेतु प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से अनुदान संख्या 15 के अधीन संचालित पशुधन विकास प्रशिक्षण केन्द्र चगेरवां जनपद बस्ती के संचालन की योजना (रा.यो.) की गाइडलाइन्स निम्नवत् है:-

## पशुधन विकास प्रशिक्षण केन्द्र चगेरवां जनपद बस्ती के संचालन की योजना (रा.यो.)

### 1. योजना की पृष्ठभूमि :-

पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा पशुपालकों, कृषकों, पशुपालन क्षेत्र से जुडे कार्मिकों एवं अन्य सम्बन्धित हितधारकों को विज्ञानिक एवं व्यवहारिक पशुपालन सम्बन्धी प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से जनपद बस्ती में पशुधन विकास प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की गयी है। वर्तमान में प्रशिक्षण केन्द्र के संचालन एवं प्रशिक्षण गतिविधियों को व्यवस्थित रूप से संचालित किये जाने हेतु उत्तर प्रदेश पशुधन विकास परिषद के माध्यम से योजना का क्रियान्वयन प्रस्तावित है। प्रशिक्षण केन्द्र के संचालन हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या 15 के अधीन राजस्व एवं पूंजीगत पक्ष में धनराशि की व्यवस्था की गयी है।

### 2. योजना का उद्देश्यः

योजना का प्रमुख उद्देश्य पशुपालकों एवं कृषकों को वैज्ञानिक एवं आधुनिक पशुपालन तकनीकों से अवगत कराना, पशुधन की उत्पादकता एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रशिक्षण प्रदान करना, दुग्ध उत्पादन, बकरी/भेड़ पालन, मुर्गी पालन आदि गतिविधियों को वैज्ञानिक ढंग से अपनाने हेतु प्रशिक्षण देना, पशुपालकों की आय में वृद्धि तथा पशुपालन को रोजगारपरक एवं लाभकारी गतिविधि के रूप में विकसित करने के साथ ही विभागीय योजनाओ एवं नवीन तकनीकों का व्यापक प्रचार-प्रसार एवं क्षमता का विकास करना है।

### 3. योजना का स्वरुपः-

योजना के अन्तर्गत पशुधन विकास प्रशिक्षण केन्द्र चगेरवां, जनपद बस्ती का संचालन करते हुए आवश्यकता एवं मांग के अनुरूप विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे। प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सैद्धान्तिक प्रशिक्षण के साथ-साथ व्यवहारिक प्रशिक्षण, प्रदर्शन जागरूकता कार्यक्रम एवं विषय विशेषज्ञों द्वारा तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान किया जायेगा। प्रमुख प्रशिक्षण विषयों में डेयरी प्रबन्धन, पशु आहार एवं पोषण, मुर्गी पालन, भेड़ एवं बकरी पालन, पशु स्वास्थ्य एवं रोग निदान तथा पशुपालन सम्बन्धी अन्य उपयोगी विषय सम्मिलित किये जायेंगे।

4. <u>योजना का आच्छादनः-</u>

योजना का लाभ जनपद बस्ती सहित आवश्यकता एवं विभागीय निर्देशों के अनुसार अन्य सम्बन्धित क्षेत्र के पशुपालकों, कृषकों, पशुपालन से जुडे कार्मिकों, (मैत्री, पैरावेट्स एवं लैमसैमिनेटर) पशुधन सहायकों, पशु सखियों/पशुधन क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों तथा अन्य लक्षित लाभार्थियों को प्रशिक्षण के माध्यम से प्रदान किया जायेगा। प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन मांग, आवश्यकता एवं उपलब्ध संसाधनों के आधार पर किया जायेगा।

5. <u>वित्तीय/भौतिक लक्ष्यः-</u>

योजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि का उपयोग पशुधन विकास प्रशिक्षण केन्द्र चगेरवां, जनपद बस्ती के सुचारू संचालन, प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन तथा आवश्यक सामग्री एवं संसाधनों की व्यवस्था में किया जायेगा। भौतिक लक्ष्य के अन्तर्गत वर्ष भर में निर्धारित संख्या में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर लक्षित पशुपालकों एवं अन्य लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम की संख्या एवं प्रशिक्षित लाभार्थियों का लक्ष्य उपलब्ध बजट एवं निर्धारित लक्ष्य के अनुसार किया जायेगा।

6. <u>आवेदन हेतु पात्रताः-</u>

प्रशिक्षण कार्यक्रम में सम्बन्धित विषय से जुड़े पशुपालक, कृषक, पशुपालन गतिविधियों में रूचित रखने वाले व्यक्ति, पशुधन क्षेत्र में कार्यरत कार्मिक/कार्यकर्ता तथा विभाग द्वारा निर्धारित अन्य पात्र व्यक्ति प्रतिभाग कर सकेंगे। पात्रता का निर्धारण सम्बन्धित प्रशिक्षण कार्यक्रम की प्रकृति एवं विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

7. <u>लाभार्थी चयन की प्रक्रियाः-</u>

लाभार्थियों का चयन सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम की आवश्यकता एवं निर्धारित पात्रता के आधार पर किया जायेगा। इसके लिये जनपद स्तर पर सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों के माध्यम से पात्र लाभार्थियों का चयन किया जायेगा। आवश्यकता के अनुसार ग्राम/विकासखण्ड स्तर पर प्रचार-प्रसार कर इच्छुक लाभार्थियों से आवेदन/नामांकन प्राप्त किये जायेंगे तथा निर्धारित मानकों के अनुसार प्रशिक्षण हेतु लाभार्थियों का चयन किया जायेगा।

8. <u>योजना के क्रियान्वयन का विस्तृत विवरणः-</u>

योजना का क्रियान्वयन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद के निर्देशन एवं सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों के समन्वय से किया जायेगा। पशुधन विकास प्रशिक्षण केन्द्र चगेरवां, जनपद बस्ती में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का वार्षिक/मासिक प्रशिक्षण कैलेण्डर तैयार किया जायेगा। प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन हेतु विषय विशेषज्ञों/प्रशिक्षकों की सेवायें प्राप्त की जायेंगी। प्रशिक्षण केन्द्र पर आवश्यकतानुसार कार्यालय संचालन हेतु सामग्री, फर्नीचर, उपकरण, विद्युत, दूरभाष एवं इंटरनेट आदि की

व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्ण होने के उपरान्त प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति, प्रशिक्षण सम्बन्धी अभिलेख एवं व्यय का विवरण निर्धारित प्रारूप में संधारित किया जायेगा। योजना के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों एवं प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा तथा व्यय का अभिलेखीकरण एवं आवश्यकतानुसार आडिट कराया जायेगा।

9. <u>अन्य विवरणः-</u>

पशुधन विकास प्रशिक्षण केन्द्र चगेरवां, जनपद बस्ती के माध्यम से पशुपालकों को विभागीय योजनाओं, नवीन पशुपालन तकनीकों, पशु स्वास्थ्य, पशु पोषण, प्रजनन प्रबन्धन तथा विभिन्न पशुपालन गतिविधियों के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध करायी जायेगी। प्रशिक्षण कार्यक्रमों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु प्रशिक्षणोपरान्त फीडबैक/मूल्यांकन की व्यवस्था की जायेगी तथा प्राप्त सुझावों के आधार पर प्रशिक्षण कार्यक्रम में आवश्यक सुधार किया जायेगा। योजना के सफल क्रियान्वयन से पशुपालकों की तकनीकी दक्षता में वृद्धि, पशुधन की उत्पादकता में सुधार, पशु स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता तथा पशुपालन गतिविधियों से होने वाली आय में वृद्धि होने की सम्भावना है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्तानुसार योजना का प्राथमिकता पर क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

**(विवेक श्रीवास्तव)**
विशेष सचिव।

<u>पृ0सं0-198/2026/2260(1)/सैंतीस-2-2026-1(13)/2025-2005111, तद्दिनांक ।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, वित्त/नियोजन/कृषि विभाग।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक ग्रेड-2, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

**(मनीष चन्द्र श्रीवास्तव)**
संयुक्त सचिव।